संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016
फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./ दि.स.4/F-285/2024/ 3741 भोपाल, दिनांक 5/11/2024

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
जिला-समस्त ,
मध्यप्रदेश।

विषय - मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन के संबंध में।
संदर्भ - संचालनालय का पत्र क्रमांक/ 3396 दिनांक 14.10.2024

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । उक्त पत्र द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत स्पर्श पोर्टल पर विकसित की गई नवीन ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु योजना के क्रियान्वयन के संबंध मे विस्तृत दिशा - निर्देश जारी किये गये है ।

उपरोक्त दिशा - निर्देश अनुसार दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजनातर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभांवित किये जाने के उद्देश्य से उक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने की अवधि को 31 अक्टूबर 2024 से बढ़ाकर **12 नवम्बर 2024 तक** की जाती है । शेष दिशा- निर्देश यथावत रहेंगें ।

तद्नुसार मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(**डॉ. राम राव भोंसले**)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./दि.स.4/F-285/2024/ 3742 भोपाल, दिनांक 5/11/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.।
2. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र.।
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., म.प्र.।
6. श्री योगेश सिंह, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी., म.प्र.।
7. समस्त अधीक्षक/प्राचार्य, विभागीय शासकीय विशेष विद्यालय, जिला इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन, बैतूल एवं खरगौन, म.प्र.।
8. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र.।

आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.